डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2018-20

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 1 जून, 2020, डिस्पेच दिनांक 1 जून, 2020

| वर्ष 64 | अंक 01 | भोपाल | 1 जून, 2020 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

तेन्दूपत्ता संग्राहकों को कुल बोनस राशि 184 करोड़ का भुगतान होगा

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस राशि वितरण का प्रारंभ किया

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने मंत्रालय से सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश के तेंदूपत्ता संग्राहकों को तेंदूपत्ता विक्रय वर्ष 2018 की बोनस राशि कुल 184 करोड़ रूपए के भुगतान का प्रारंभ किया। पूर्व मंडला वन मंडल की 11 समितियों को 12.82 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया। शेष सभी संग्राहकों को समितियों के माध्यम से शीघ्र राशि प्राप्त होगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश के कुछ तेंदूपत्ता संग्राहकों से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। इस अवसर पर प्रमुख सचिव वन श्री अशोक वर्णवाल तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक भी उपस्थित थे।

लघु वनोपज का मूल्य डेढ़ गुना तक बढ़ाया

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आदिवासियों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न वनोपजों का मूल्य 19 से 53 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है, जिससे उन्हें संकट की इस घड़ी में कुछ राहत मिल सके। सरकार लघु वनोपज संघ के माध्यम से समर्थन मूल्य पर इनका संग्रहण कर रही है। इसके अलावा सभी क्षेत्रों में मनरेगा के कार्य भी बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे हैं। सभी को रोजगार दिया जाएगा।

महुआ फूल विक्रय के मिलेंगे 50 करोड़ रूपए

मुख्यमंत्री ने कहा कि महुआ फूल का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के बाद हमने व्यापारियों एवं लघु उपज संघ द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं उससे अधिक दर पर लगभग 1 लाख 25 हजार क्विंटल महुआ फूल क्रय कर लिया है, जिससे सीजन समाप्त होने पर 50 करोड़ रूपये से अधिक की आमदनी आप सभी बहनों–भाईयों को प्राप्त होगी।

32 लाख संग्राहकों को 26.38 करोड़ का नगद भुगतान

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमने लगभग 11 लाख परिवारों के 32 लाख संग्राहकों के माध्यम से 9.74 लाख मानक बोरा से अधिक तेंदूपत्ता संग्रहण कर तेंदूपत्ता संग्राहकों को 26.38 करोड़ रूपये नगद भुगतान कर दिया है। राज्य में तेंदूपत्ते की संग्रहण दर 250 रूपए प्रति सैकड़ा है। इस वर्ष 16 लाख 29 हजार मानक बोरा तेंदूपत्ते का संग्रहण प्रस्तावित है, जिससे लगभग 400 करोड़ रूपए की राशि का वितरण तेंदूपत्ता संग्राहकों को किया जाएगा। प्रदेश में अब तक 09 लाख 05 हजार मानक बोरा तेंदूपत्ता संग्रहण कर लिया गया है।

मुख्यमंत्री तेंदूपत्ता संग्राहक योजना में 901 संग्राहकों को लाभ

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश में तेंदूपत्ता संग्राहकों की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री तेंदूपत्ता संग्राहक योजना चलाई जा रही है।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

परिवहन और भण्डारण की व्यवस्था सुनिश्चित करें - मंत्री श्री राजपूत

भोपाल। खाद्य, नागरिक आपूर्ति, सहकारिता एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने रबी उपार्जन 2020 की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कहा कि उपार्जन के साथ खाद्यान्न का सुरक्षित भण्डारण किया जाना जरूरी है। मानसून तथा संभावित तूफान को ध्यान में रखते हुए खाद्यान्न का सुरक्षित परिवहन किया जाये।

प्रमुख सचिव, खाद्य, ने बताया कि अधिकांश जिलों में खरीदी का कार्य अंतिम चरण में है परन्तु कुछ जिलों में खरीदी विलंब से प्रारंभ होने तथा फसल विलंब से आने के कारण खरीदी अभी जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि कुछ कृषक बिना एस.एम.एस. या पुराने एस.एम.एस. के आधार पर खरीदी केन्द्रों पर आ रहे हैं। उन कृषकों को जिला कलेक्टर के माध्यम से सूचीबद्ध कर नये सिरे से एस.एम.एस. जारी कर खरीदी सुनिश्चित की जा रही है।

पंजीकत किसानों की पूरी उपज खरीदी जाएगी

मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि रबी उपार्जन हेतु ऑनलाईन पंजीकृत समस्त कृषकों की उपज गेहूँ, चना, मसूर एवं सरसों की कार्य योजना बनाकर खरीदी की जाये। जिन खरीदी केन्द्रों पर 26 मई 2020 तक खरीदी पूर्ण हो जायेगी, उन्हें बंद कर दिया जायेगा। परन्तु जिन उपार्जन केन्द्रों पर कृषकों से उपार्जन शेष रहेगा, उन केन्द्रों के लिये पृथक से विचार किया जायेगा। कंटेन्मेंट क्षेत्र में विलंब से खरीदी के कारण परिस्थितियों को देखते हुए अंतिम समय में पृथक से विचार किया जायेगा।

वारदानों की कमी न आने दें

मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि खरीदी के अंतिम चरण में वारदाने की कमी के कारण खरीदी प्रभावित न हो, यह सुनिश्चित कर लिया जाये। जिन केन्द्रों पर आवश्यकता से अधिक वारदाने है, उसे कमी वाले उपार्जन केन्द्रों पर समायोजित किया जाये। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाये कि वारदाने की कमी किसी भी केन्द्र पर नहीं आने दी जाये।

भण्डारण व्यवस्था सुव्यवस्थित की जायेगी

मंत्री श्री राजपूत को बताया कि कुछ जिलों में अनुमानित खरीदी से 50 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है। कुछ जिलों में भण्डारण क्षमता वहां की आवश्यकता से अधिक है। जिन जिलों में भण्डारण क्षमता कम है, वहां उपार्जित गेहूँ अधिक क्षमता वाले जिलों के भंडारगहों में परिवहन कर भेजा जाए।

ऋण माफी और ऋण वितरण के संबध में भी बैठक में मंत्री श्री राजपूत ने कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। बैठक में प्रमुख सचिव, (खाद्य), प्रमुख सचिव (सहकारिता), प्रबंध संचालक, विपणन संघ, आयुक्त सहकारिता, संचालक खाद्य एवं प्रबंध संचालक, म.प्र. वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन, प्रबंध संचालक, आपूर्ति निगम तथा प्रबंध संचालक, अपैक्स बैंक सहित संबंधित विभागों के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सूचना

कोविड-19 के कारण हुए लाकडाउन की वजह से मध्यप्रदेश सहकारी समाचार के अंक 21 से 23 तक प्रकाशित नहीं हो पाये। यह अंक भी ई-सहकारी समाचार है।

कोविड-19 : खतरा बरकरार इसलिए

एहतियात जरूरी

अभी कोविड 19 का खतरा है इसलिए सतर्कता जरूरी है।
किसी कारण घर से बाहर जाएं तो

- घर से बाहर जाने पर ट्रिपल लेयर या एन–95 या फेस कवर जैसे गमछे या दुपट्टे का उपयोग करें।
- यथासंभव प्लास्टिक की चप्पल या स्लीपर पहनें।
- बजार में किसी भी व्यक्ति या दुकानदार से न्यूनतम 6 फीट की दूरी बनाएं रखें।
- घर के बाहर होने पर किसी भी चीज को अनावश्यक रूप से स्पर्श न करें और हाथों से बार–बार अपना चेहरा बिल्कुल न छुएं।
- हैंड सेनिटाइजर (70 प्रतिशत अल्कोहलयुक्त) का एक छोटा पैक हमेशा साथ रखें।
- खरीदी गई सामग्री को घर ले जाते समय शरीर से दूर रखने का प्रयास करें। बाजार जाते समय अपने साथ प्लास्टिक की बाल्टी रखना बेहतर उपाय है। सामग्री को बाल्टी में डालकर अपने घर ले आएं।
- एटीएम जाएं तो सबसे पहले एटीएम कार्ड को सेनिटाइज करें।
- प्रयास करें हफ्ते में एक–दोबार ही बाजार जाना पड़े।

लिफ्ट या सीढ़ी के प्रयोग के समय

- सार्वजकि लिफ्ट के बजाय सीढ़ी का उपयोग करें।
- सीढ़ी की रेलिंग को अपने हाथों से स्पर्श न करें।
- लिफ्ट का उपयोग जरूरी है, तो अपनी जेब में कुछ कागज के टुकड़े रखें और अपनी उंगली को कागज से ढंककर पुश बटन छुएं।
- लिफ्ट से बाहर आएं तो कागज को डस्टबिन में फेंकें।
- लिफ्ट में दूसरे व्यक्तियों से न्यूनतम 6 फीट की दूरी बनाए रखें, संभव हो तो अकेले ही उपयोग करें।

बाजार से लौटकर घर में प्रवेश के समय

- घर में प्रवेश करने पर दरवाजा स्पर्श न करें, घर के अन्य सदस्यों को दरवाजा खोलने के लिए करें।
- सामग्री को किसी टेबल या किसी बॉक्स में दरवाजे के पास एक निश्चित, तय स्थान पर रखें।
- घर में प्रवेश करने के बाद अपने हाथों को कम से कम 20 सेंकंड के लिए साबुन से अच्छी तरह धोएं।
- सर्वप्रथम अपने कपड़े डिर्टजेंट के घोल में डुबोएं और साबुन से नहाएं। डिर्टजेंट के साथ अपने प्लास्टिक स्ट्रीट चप्पल को ठीक से धोएं।

कोई आपके घर पर आए तो

- यदि कोई व्यक्ति जैसे प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक आपके घर पर आता है तो सुनिश्चित करें कि उसे बुखार तो नहीं है। आप इसे इन्फ्रारेड थर्मामीटर से जांच सकते हैं।
- सबसे पहले उसे अपने हाथों को सैनिटाइजर या साबुन और पानी से साफ करने को कहें।
- अपने कार्य से संबंधित स्थल या उपकरण के अलावा उसे कुछ भी छूने की अनुमति न दें।
- काम पूरा हो के बाद साबुन के घोल से उस स्थान और उपकरणों को साफ करें।

घर के फर्श, दरवाजों का डिसइन्फेक्शन.....

- 2 प्रतिशत डिटर्जेंट के घोल या 1 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट घोल के साथ रोज फर्श साफ करें।
- मुख्य दरवाजे के हैंडल और डोरबेल के स्विच को सैनिटाइज करें।
- रसोई में उपयोग होने वाले बर्तन, उपकरण आदि को आमतौर पर साबुन से साफ किया जाता है तो उन्हें अलग से कीटाणुरहित करने की आवश्यकता नहीं होती है।

हाथों को संक्रणमणमुक्त करें

- हाथों को कम से कम 20 सेंकड तक पानी और साबुन से अच्छी तरह से दिन में कई बार और भोजन करने के पूर्व अवश्य धोये।
- वैकल्पिक रूप से आप हाथों को कीटाणु रहित करने के लिए हैंड सेनिटाइजर का उपयोग कर साफ कर सकते है।

सब्जी और फलों की सफाई

- वर्तमान परिस्थितियों में सब्जियों और फलों को इस्तेमाल करने से पूर्व कीटाणु रहित करना आवश्यक है।
- हाथों से रगड़कर सब्जियों और फलों को नमक के पानी, 2 प्रतिशत साबुन या डिटर्जेंट के घोल से धोने के बाद स्वच्छ पानी से अच्छी तरह से साफ करें।
- रेफ्रीजरेटर में स्टोर कर इस्तेमाल करें।

पैकेज्ड मिल्क का डिसइन्फेक्शन

- हाथ से रगड़कर पैकेट को 2 प्रतिशत साबुन या डिटर्जेंट के घोल से अच्छी तरह से साफ करें।
- पैक को काटें, दूध बर्तन में डालें व उबालकर उपयोग करें।
- यदि आप दूध वाले से दूध लेते हैं तो प्रक्रिया के दौरान उचित दूरी बनाएं, अपना बर्तन न छूने दें और दूध को तुरंत उबाले।

श्रम सुधार - मध्यप्रदेश में उद्योग व श्रमिक हितों में संतुलन

● ओमप्रकाश श्रीवास्तव

श्रमिकों, रोजगार प्रदाताओं जैसे उद्योगपति, कारखाना या दुकान का मालिक, श्रम संगठनों और सरकार के बीच संबंधों का निर्धारण श्रम कानूनों के माध्यम से होता है। यह कानून बताते हैं कि श्रमिकों का न्यूनतम वेतन कितना होगा, उनके अधिकतम कितने घंटे काम करना होगा, कार्यस्थल पर उन्हें क्या सुविधाएँ दी जाएँगीं आदि। वहीं रोजगार प्रदाताओं के हितों की रक्षा के लिए श्रमिकों के साथ विवादों के निराकरण के नियम व प्रक्रिया भी इन्हीं कानूनों में निर्धारित की गई है। इन कानूनों में फेरबदल करना तलबार की धार पर चलने जैसा है। यदि श्रम संगठनों की सारी मॉगें मान ली जाएँ तो उद्योगों का चलना मुश्किल हो जाएगा वहीं रोजगार प्रदाताओं की सारी मॉगें मानने पर श्रमिकों के शोषण का रास्ता खुल जाएगा। श्रम कानूनों का दायित्व है कि वे कामगारों को उद्योगपतियों के शोषण से बचाएँ वहीं उद्योगों को श्रमिकों के अवैधानिक दवाबों से संरक्षण प्रदान करें।

कोराना संकट से वैश्विक अर्थव्यवस्था डगमगा गई है। औद्योगिक उत्पादन ठप्प हो गया है। श्रमिकों का बड़ी संख्या में उद्योगों से पलायन हुआ है। कई देशों से बड़ी कंपनियॉ व उद्योग ऐसे नए ठिकाने खोज रहे हैं जहॉ उन्हें सस्ता और कुशल श्रम, प्राकृतिक संसाधन, अच्छी कानून व्यवस्था और उद्योग हितैषी कानून विधान मौजूद हो। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने के मकसद से केंद्र सरकार ने व्यापक श्रम सुधारों का अभियान शुरू कर दिया है। निवेश आकर्षित करने के लिए जटिल कानूनों और लालफीताशाही को हटाना आवश्यक हो गया था। इसी क्रम में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाने के घोषित लक्ष्य के तहत मध्यप्रदेश ने भी श्रम सुधारों की घोषणा कर दी।

मध्यप्रदेश पूर्व में ही 13 केंद्रीय एवं 4 राज्य कानूनों में 32 संशोधन कर चुका है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए 30 सेवाओं को मप्र लोकसेवा गारंटी अधिनियम में लाया जा चुका है। मध्यप्रदेश में निश्चित समय के लिए रोजगार देने का प्रावधान, रिटर्न फाइल करने के लिए स्वप्रमाणन का प्रावधान, सिंगल विंडो क्लीयरेंस का प्रावधान किया गया है । औद्योगिक विवाद अधिनियम की कुछ धाराओं और ठेका श्रम अधिनियम, मोटर ट्रांसपोर्ट कर्मकार अधिनियम और अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम की सभी धाराओं के अंतर्गत उल्लंघन पर कम्पाउंडिंग के प्रावधान किये गये हैं।

ऐसे कारखानों को जो बिना विद्युत शक्ति से चलित हैं उन्हें पूर्णतरू और जो विद्युत शक्ति से चलित हैं उनमें यदि कामगारों की संख्या 50 तक है तो उन्हें कारखाना अधिनियम के प्रावधानों से छूट देने का प्रस्ताव केंद्र शासन को भेजा जा चुका है। श्रमिकों के ठेकेदार पर ठेका श्रम अधिनियम तभी लागू होगा जब वह 50 से अधिक श्रमिक नियोजित करेगा । पहले यह श्रमिक संख्या 20 थी। यह प्रस्ताव भी भारत सरकार को भेजा जा चुका है। नये प्रस्तावों में उद्योगों में तृतीय पक्ष के द्वारा निरीक्षण की व्यवस्था की गई है। छोटे संस्थानों को सरकारी हस्तक्षेप से बचाने हेतु 50 से कम श्रमिक नियोजित करनेवाले संस्थानों में श्रम आयुक्त की पूर्व अनुमति के बगैर निरीक्षण प्रतिबंधित कर दिया गया है। सभी श्रम अधिनियमों में पंजीयन लायसेंस एवं रिटर्न की ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। अनेक श्रम अधिनियमों के अंतर्गत पंजीयन और अनुज्ञप्ति अब 1 दिन में प्रदान करने की गारंटी दी गई है। लाइसेंस का नवीनीकरण की अवधि अब एक वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष कर दी गई है।

कारखानों में मजदूरों के कार्य की दैनिक अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दी गई है। एक सप्ताह में अधिकतम 72 घंटे कार्य करने की अनुमति होगी। अतिरिक्त 4 घंटे का कार्य, श्रमिक की इच्छा से उसे सामान्य दर से दोगुना ओवरटाइम देकर ही, लिया जा सकता है। अब दुकानें व वाणिज्यक स्थापनाएँ प्रातरू 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक खुली रखी जा सकेंगीं। नये स्थापित होने वाले कारखानों को प्रासंगिक श्रम कानूनों से 1 हजार दिवस तक छूट दी गई है। कारखाना अधिनियम में अनेक प्रावधानों को 3 माह के लिए शिथिल किया गया है। इससे उनमें सरकारी हस्तक्षेप घटेगा। कार्य के घंटों में छूट से जहॉ उत्पादन बढ़ेगा वहीं ओवरटाइम से श्रमिकों की आय बढ़ेगी ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के कुछ प्रावधानों के शिथिलीकरण से रोजगार प्रदाता को श्रमिकों का नियोजन करने, संतोषजनक सेवा न देने पर उनका निष्कासन करने में सरलता होगी । इसमें श्रम विभाग व न्यायपालिका का हस्तक्षेतप नहीं हो सकेगा। अब मप्र औद्योगिक नियोजन अधिनियम 1961 तभी लागू होगा जब कामगारों की संख्या 100 या अधिक होगी। पहले यह संख्या 50 थी। इससे लघु व मध्यम उद्योगों को राहत मिलेगी । नवीन स्थापित उद्योगों को श्रम कल्याण मंडल में अंशदान देने से छूट दी गई है। कपड़ा लोहा स्टील शक्कर विद्युत वस्तुएँ आदि को मप्र औद्योगिक संबंध अधिनियम के प्रावधानों से छूट दे दी गई है।

मध्यप्रदेश के श्रम सुधारों की विशेषता इनका संतुलित होना है। जहॉ एक ओर यह औद्योगिक निवेश के लिए वातावरण बनाता है वहीं दूसरी ओर श्रमिकों के हितों से कोई समझौता नहीं किया गया है। विभिन्न अधिनियमों में श्रमिकों को दिये गये लाभ यथावत संरक्षित रखे गये हैं। महिला श्रमिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन तथा 26 सप्ताह का प्रसूति अवकाश वेतन सहित मिलेगा। बाल श्रमिकों का नियोजन प्रतिबंधित रहेगा । श्रमिकों को न्यूनतम वेतन व मँहगाई भत्ते व साप्ताहिक अवकाश का अधिकार भी यथावत् रहेगा। श्रमिकों के स्वास्थ्य व सुरक्षा संबंधी प्रावधानों से कोई समझौता नहीं किया गया है। कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में श्रमिकों को क्षतिपूर्ति संबंधी प्रावधान लागू रहेंगे। श्रमिकों की बंदी व छँटनी में पूर्व से निर्धारित प्रक्रिया अपनाना आवश्यक होगा जिसमें छँटनी की स्थिति में 3 माह की सूचना या वेतन देना आवश्यक होगा। श्रमिकों की ओर से उनके श्रम संगठन नियोजकों से चर्चा हेतु सक्षम रहेंगे। कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों का लाभ भी श्रमिकों को यथावत् मिलेगा। इसी प्रकार संबल योजना व विभिन्न प्रकार के कर्मकार कल्याण मंडलों के देय लाभ भी श्रमिकों को पात्रता अनुसार प्राप्त होते रहेंगे।

प्रदेश सरकार के इन संतुलित प्रयासों से नया निवेश आकर्षित होगा और औद्योगिक गतिविधियॉ प्रोत्साहित होंगीं। इन उपायों से ही मौजूदा कामगारों के रोजगार की रक्षा होगी और नये रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता, और भविष्य को आकार देता हैं। अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखते हैं, तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा सम्मान होगा. अब्दुल कलाम

मध्यप्रदेश की रिकवरी रेट अब 53 प्रतिशत

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा की

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं। प्रदेश की कोरोना रिकवरी रेट अब 53 प्रतिशत हो गई है। देश की रिकवरी रेट 41.8 प्रतिशत है। इसी प्रकार मध्यप्रदेश में कोरोना की डबलिंग रेट 21 दिन हो गई है। वहीं देश की कोरोना डबलिंग रेट 15.4 दिन है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसान चिंता न करें उनका पूरा गेहूँ खरीदा जायेगा। उन्होंने निर्देश दिये कि जिन जिलो में अभी पंजीकृत किसान समर्थन मूल्य पर गेहूँ नहीं बेच पाये हैं, उन ज़िलों में गेहूँ उपार्जन की व्यवस्था सुचारू रहे। प्रदेश में अभी तक 116 लाख 82 हजार एम.टी. गेहूँ की खरीदी की जा चुकी है। वहीं 11 लाख 56 हजार किसानों के खातों में 15 हजार 134 करोड़ रूपये का भुगतान किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, डीजीपी श्री विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री संजय शुक्ला आदि उपस्थित थे।

जल्द पहचान से कम हुई मृत्यु दर

इंदौर जिले की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने बताया कि इंदौर में सघन सर्वे तथा टैस्ट के माध्यम से मरीजों की जल्द पहचान से मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आ रही है। इंदौर की कोरोना मृत्यु दर 3.6 है, म.प्र. की 4.1 प्रतिशत है और भारत की 2.6 प्रतिशत है। गत सप्ताह इंदौर की कोरोना मृत्यु दर 1.08 प्रतिशत रही। कोरोना मरीजों की डबलिंग रेट बढ़कर 30 दिन हो गई है। शहर के संक्रमित वार्ड की संख्या 79 से 62 रह गई है।

कलेक्टर इंदौर ने बताया कि इंदौर में फीवर क्लीनिक अच्छा कार्य कर रही हैं। इनमें स्वास्थ्य जांच की जा रही है। हर फीवर क्लीनिक पर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है। निजी व शासकीय दोनों क्षेत्रों में फीवर क्लीनिक प्रारंभ हो गई हैं।

इंदौर में 500 बैड का सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल

बताया गया कि इंदौर में 500 बिस्तरीय सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल बन रहा है, जो 15 जून के आस–पास कार्य करना प्रारंभ कर देगा।

संभागायुक्त इंदौर ने बताया कि इंदौर संभाग के सभी जिलों की स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है। धार में 114 में 104 डिस्चार्ज हुए, खरगौन में 119 में 95, खंडवा में 232 में 184, बड़वानी में 41 में 30 तथा झाबुआ में 13 में 6 कोरोना मरीज डिस्चार्ज होकर घर चले गये हैं।

स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना कार्य में लगे पुलिसकर्मियों सहित पूरे अमले का मनोबल बढ़ाया जाये। बहुत से पुलिस एवं स्वास्थ्य कर्मी कोरोना की ड्यूटी के कारण अपने परिवार से अलग रह रहे हैं। इनके परिवारों का भी ध्यान रखा जाये।

2 करोड़ भोजन पैकेट एवं 3.64 लाख क्विंटल खाद्यान्न वितरित : मंत्री श्री राजपूत

भोपाल। प्रदेश में माईग्रेंट/स्ट्रेंडेड माईग्रेंट लेबर को एसडीआरएफ मद से अब तक तीन लाख 64 हजार 700 क्विंटल खाद्यान्न का वितरण किया जा चुका है। खाद्य मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने यह जानकारी केन्द्रीय खाद्य मंत्री श्री रामविलास पासवान को दी। श्री पासवान वीडियो काफ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य आपदा राहत कोष में राज्यों को आवंटित खाद्यान्न वितरण की राज्यों के खाद्य मंत्रियों के साथ समीक्षा कर रहे थे।

खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि प्रदेश में अब तक एक लाख 88 हजार लोगों को 2.02 करोड़ भोजन पैकेट एवं 83 लाख खाद्यान्न पैकेट उपलब्ध करावाए गये हैं। राज्य शासन द्वारा जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए टोल फ्री भोजन हेल्प लाईन 01 अप्रैल से प्रदेश में निरंतर कार्य कर रही है। वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में प्रमुख सचिव खाद्य श्री शिव शेखर शुक्ला ने खाद्यान्न आवंटन एवं वितरण व्यवस्था की जानकारी दी।

आत्मनिर्भर भारत योजना के लिए चिन्हांकन

मंत्री श्री राजपूत ने केन्द्र सरकार की **आत्म–निर्भर भारत योजना** के बारे में बताया कि इस योजना के अंतर्गत माईग्रेंट/स्ट्रेंडेड माईग्रेंट लेबर का चयन मोबाईल एप से 31 मई तक पूरा कर लिया जाएगा। ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय के माध्यम से हितग्राही का नाम, समग्र आईडी, आधार नंबर आदि की जानकारी भी संकलित करायी जा रही है। उचित मूल्य की दुकानों पर पींओएस मशीन पर प्रदर्शित करवाकर खाद्यान्न का आवंटन एवं वितरण कराया जाएगा।

प्रदेश के 10 लाख माईग्रेंट लेबर जो अन्य राज्यों में कार्य करते थे, जिनमें से 9.5 लाख लेबर वापिस मध्यप्रदेश आ चुके है। प्रदेश सरकार ने प्राथमिकता के साथ श्रमिकों को वापस लाने के लिये व्यापक सुविधाये उपलब्ध करवाई है। इसी तरह अन्य राज्यों के 40 हजार लेबर में से लगभग 20 हजार लेबर अभी भी मध्यप्रदेश में निवासरत हैं। उन्होंने बताया कि चिन्हांकन की कार्रवाई पूर्ण होते ही जून माह में खाद्यान्न वितरण प्रारंभ करा दिया जाएगा।

वन नेशन – वन राशन कार्ड योजना

खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने केन्द्र सरकार की वन नेशन – वन राशन कार्ड योजना की प्रशंसा करते हुए बताया कि इस महत्वावकांक्षी योजना से राशनकार्ड धारी देश में कहीं भी अपने राशन कार्ड से राशन ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि पहले से यह योजना क्रियान्वित रहती तो किसी भी आपदा में खाद्यान्न की परेशानी नहीं होती। श्री राजपूत ने बताया कि प्रदेश में अंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटी की व्यवस्था के तहत 3 लाख 39 हजार 951 हितग्राहियों द्वारा राशन प्राप्त किया गया। अभी तक 70 प्रतिशत हितग्राहियों के डाटाबेस में आधार सीडिंग की जा चुकी है।

आपकी मान्यताएं आपके विचार बन जाते हैं, आपके विचार आपके शब्द बन जाते हैं, आपके शब्द आपके कार्य बन जाते हैं, आपके कार्य आपकी आदत बन जाते हैं, आपकी आदतें आपके मूल्य बन जाते हैं, आपके मूल्य आपकी नियति बन जाती हैं।

– महात्मा गांधी

कृषि मंत्री श्री पटेल के प्रस्ताव पर चना, मसूर, सरसों की उपार्जन सीमा समाप्त हुई

भोपाल। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल के अनुरोध एवं उपार्जन की अधिकतम सीमा समाप्त करने के लिए भेजे गए प्रस्ताव पर भारत सरकार ने मुहर लगा दी है। भारत सरकार ने मध्यप्रदेश में चना, मसूर, सरसों की प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन अधिकतम उपार्जन सीमा को समाप्त कर दिया है।

मंत्री श्री पटेल ने भारत सरकार को 23 मई 2020 को भेजे पत्र में प्रदेश में चना, मसूर , सरसों के प्रति दिन , प्रति व्यक्ति अधिकतम उपार्जन सीमा जो कि 25 क्विंटल थी। कोविड–19 संक्रमण काल में इस सीमा को बढ़ाकर 40 क्विंटल प्रति दिन, प्रति किसान कर दिया गया था। कृषि मंत्री श्री पटेल ने इस सीमा को भी किसानों के हित में समाप्त करने का अनुरोध किया था।

भारत सरकार ने कृषि मंत्री के अनुरोध को स्वीकार करते हुए मध्यप्रदेश में चना, मसूर, सरसों के प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति 40 क्विंटल की उपार्जन सीमा को समाप्त कर दिया है। अब किसान चना मसूर सरसों की जितनी उपज है, उसे लेकर मंडी में आ सकता है और विक्रय कर सकता है। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के डायरेक्टर श्री सतीश भूषण ने उक्त संबंध में आज आदेश जारी कर दिया है।

प्रदेश में 1391 फीवर क्लीनिक चालू

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा की

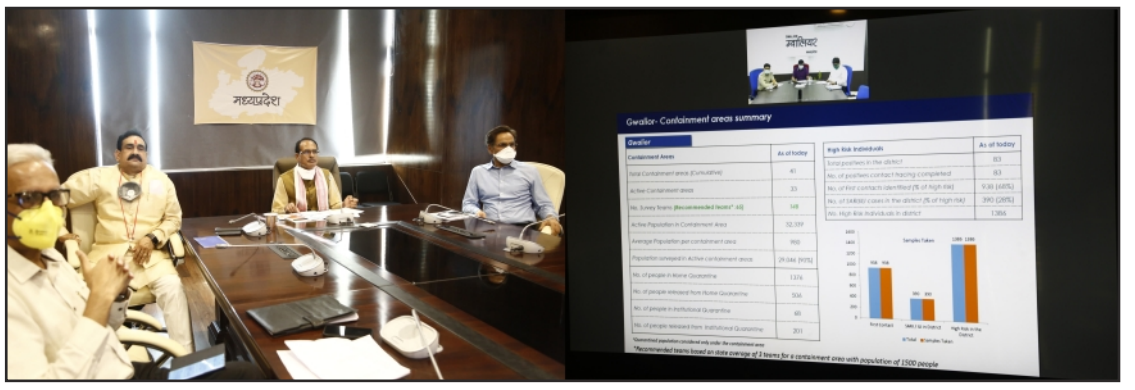

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के सभी जिलों में 1391 फीवर क्लीनिक ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है जिनमें अभी तक 42 हजार 151 व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इनमें से 30 हजार 555 व्यक्तियों को श्होम आइसोलेशनश में रहने की सलाह दी गई तथा 6050 व्यक्तियों के कोरोना टेस्ट के लिए सैम्पल लिए गए। टेस्ट किए गए व्यक्तियों में से 2959 व्यक्तियों को कोविड केयर सेंटर्स/अस्पताल में भिजवाया गया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, डीजीपी श्री विवेक जौहरी, एसीएस हैल्थ श्री मोहम्मद सुलेमान आदि उपस्थित थे।

कोरोना का इलाज और आसान होगा

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि फीवर क्लीनिक के माध्यम से जनता के लिए स्वास्थ्य जाँच एवं उपचार और आसान होगा। ये फीवर क्लीनिक धीरे–धीरे हर मोहल्ले, वार्ड, क्षेत्र में प्रारंभ की जाएंगी। ये शासकीय एवं निजी दोनों होंगी। यहां कोई भी व्यक्ति जाकर आसानी से स्वास्थ्य जाँच करवा सकेगा तथा चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त कर सकेगा। इसके अलावा सभी शासकीय एवं अनुबंधित चिकित्सालयों में कोरोना की निरूशुल्क जाँच व उपचार की सुविधा पूर्ववत जारी रहेगी।

ग्वालियर जिले में टैस्ट के एक प्रतिशत से कम पॉजिटिव

ग्वालियर जिले की समीक्षा में बताया गया कि जिले में अभी तक 9617 कोरोना टेस्ट किए गए, उनमें से 83 पॉजिटिव निकले जो एक प्रतिशत से भी कम है। सभी मरीज अच्छी हालत में हैं। गाइडलाइन अनुसार बाजार खोले जाने एवं रात्रिकालीन प्रतिबंध जारी रखने के निर्देश दिए गए।

मुरैना में 58 में 25 स्वस्थ

मुरैना जिले की समीक्षा में बताया गया कि जिले के 58 कोरोना मरीजों में से 25 ठीक होकर घर चले गए हैं। कोई डैथ नहीं है। मरीजों की हालत अच्छी है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पूरी सावधानी रखें, संक्रमण फैलना नहीं चाहिए।

बारात नहीं निकाली जा सकती

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गाइडलाइन के नियम अनुसार संक्रमित क्षेत्रों के बाहर शादी में दोनों पक्षों से 25–25 अधिकतम 50 सदस्य शामिल होने की अनुमति दी गई है, परंतु विवाह समारोह नहीं किया जा सकता और न ही बारात निकाली जा सकती है। नियम तोड़ने पर एफआईआर दर्ज की जाए। बताया गया कि जाटखेड़ी भोपाल में एक बारात आई जिसमें दुल्हन संक्रमित हुई तथा 35 बारातियों को क्वारेंटाइन किया गया है।

नए बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन करें

एक जून से नए कनेक्शन के लिए नई व्यवस्था

भोपाल। बिजली का नया कनेक्शन लेना है तो बिजली कंपनी के portal-mpcz-in <http://portal-mpcz-in/> पर जाइए और नए कनेक्शन का आवदेन करिए। बिजली कंपनी के दफ्तर जाने की जरुरत नहीं है। यह नई व्यवस्था एक जून से लागू होगी।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के जिलों में अब निम्न दाब, उच्च दाब एवं कृषि पंप कनेक्शन के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन करना होगा। कंपनी ने कहा है कि एक जून से कनेक्शन के लिए ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

कंपनी के प्रबंध संचालक श्री विशेष गढ़पाले ने कहा है कि वितरण केंद्र/ ज़ोन कार्यालय में यदि ग्रामीण क्षेत्र से कोई व्यक्ति नवीन बिजली कनेक्शन के लिए ऑफलाइन आवेदन लेकर आता है तो संबंधित वितरण केंद्र/ज़ोन प्रभारी सम्बंधित व्यक्ति को ऑनलाइन आवेदन के संबंध में सभी जानकारी उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा है कि नवीन कनेक्शन की प्रक्रिया UPAY App अथवा कंपनी के पोर्टल portal-mpcz-in <http://portal-mpcz-in/> के माध्यम से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

सभी जिलों में टिड्डी दल की रोकथाम के लिए कारगर प्रयास जारी

भोपाल। मध्यप्रदेश में टिड्डी दल के प्रभावी नियंत्रण के लिए लगातार निगरानी एवं रोकथाम का कार्य किया जा रहा है। गत 24 मई 2020 को नर्मदापुरम् संभाग के होशंगाबाद जिले के सिवनी मालवा विकासखंड के ग्राम रामनगर एवं लुचगांव में 12 ट्रेक्टरचलित स्प्रेपंप एवं 4 फायर ब्रिगेड की सहायता से कीटनाशकों का छिड़काव कर लगभग 75 प्रतिशत टिड्डी दलों को नष्ट किया गया। हरदा जिले में भी प्रभावी कार्यवाही करते हुए हरदा विकासखंड के नीमगांव, नाडिया, लोनी इत्यादी ग्रामों में कीटनाशकों का प्रयोग कर टिड्डी दलों की रोकथाम का कार्य किया गया।

भोपाल संभाग के सीहोर जिले के नसरूल्लागंज विकासखंड के ग्राम ससली एवं नीलकंड में 8 ट्रेक्टरचलित स्प्रेपंप एवं 4 फायर ब्रिगेड द्वारा कीटनाशकों का छिड़काव कर लगभग 45 प्रतिशत टिड्डी दलों को नष्ट किया गया। रायसेन जिले में ओबेदुल्लागंज के ग्राम सुल्तानपुर में भी रात्रि को 5 ट्रेक्टरचलित स्प्रेपंप एवं 2 फायर ब्रिगेड द्वारा कीटनाशकों का छिड़काव किया गया।

इसी प्रकार उज्जैन संभाग के नीमच जिले के विकासखंड जावद के ग्राम प्रेमपुरा में 15 ट्रेक्टरचलित स्प्रेपंप एवं 3 फायर ब्रिगेड एवं केन्द्रीय टिड्डी नियंत्रण दल के 4 स्प्रेयर युक्त वाहनों से कीटनाशकों का प्रयोग कर लगभग 8 से 10 कि.मी. बड़े टिड्डी दल के 40 प्रतिशत तक टिड्डियों को नष्ट किया गया। प्रदेश में समस्त जिलों में टिड्डी दलों की निगरानी की जा रही है।

छतरपुर, टीकमगढ़, खरगौन, खंडवा, मंदसौर, रायसेन एवं सीहोर जिलों में 25 मई 2020 को टिड्डी दल सक्रिय पाये गये हैं। रात्रि में इनके ठहरने का स्थान सुनिश्चित होने के बाद स्थानीय प्रशासन एवं केन्द्रीय टिड्डी दल नियंत्रण दल के सहयोग से कृषि विभाग के अधिकारियों को प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रदेश में वनोपज संग्रहण का समर्थन मूल्य

क्रं	लघु वनोपज	पुरानी दर राशि रूपये	नवीन दर राशि रूपये	बढ़ोत्तरी का प्रतिशत
1.	अचार गुठली	109	130	19%
2.	पलाश लाख	130	200	53%
3.	कुसुम लाख	203	275	35%
4.	हर्रा	15	20	33%
5.	बहेड़ा	17	25	47%
6.	बेल गुदा	27	30	11%
7.	चकोड बीज	14	20	42%
8.	शहद	195	225	15%
9.	महुआ फूल	30	35	16%
10.	महुआ बीज	30	35	16%
11.	करंज बीज	35	40	14%
12.	नीम बीज	23	30	30%
13.	साल बीज	20	20	–
14.	नागरमोथा	27	35	29%

पशुधन बीमे से नुकसान शून्य मुनाफा 100 फीसदी

भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के प्रबंधक संचालक डॉ. एच.बी. एस. भदौरिया ने बताया कि कृषक अब खेती पर ही निर्भर नहीं हैं, वे पशुपालन के माध्यम से भी अपनी आमदनी में अतिरिक्त वृद्धि कर सकते हैं। राज्य शासन की पशुधन बीमा योजना से दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन, भेंड–बकरी जैसे अन्य दुधारू पशुओं के साथ अन्य पशुपालन अब आसान हो गया है। पशुधन बीमा योजना से पशुपालकों को अब नुकसान नहीं के बराबर और मुनाफा पूरा मिलता है।

पशुधन बीमा योजना प्रदेश के सभी जिलों में लागू है। इसमें दुधारू पशुओं के साथ ही सभी श्रेणी के पशुधन का भी बीमा कराया जा सकता है। योजना में एक हितग्राही के अधिकतम 5 पशुओं का बीमा किया जाता है। भेड, बकरी, सूकर आदि 10 पशुओं की संख्या को एक पशु इकाई माना गया हैं। इससे आशय है कि भेड, बकरी एवं शूकर के पालक एक बार में अपने 50 पालतु पशुओं का बीमा करा सकेंगे।

रोजगार पोर्टल से युवाओं को मिलेंगे रोजगार के बेहतर अवसर

पोर्टल के नाम के लिये सुझाव आमंत्रित

भोपाल। प्रदेश के युवाओं को रोजगार प्राप्त करने के लिये ऑनलाइन पंजीयन की सुविधा के साथ–साथ रोजगार प्राप्त करने के हर संभव अवसर प्रदान करने के लिये रोजगार पोर्टल प्रारंभ किया जा रहा है।

रोजगार आयुक्त ने बताया कि रोजगार पोर्टल के लिये 15 रोजगार एक्सचेंज का प्रबंधन करने के लिये एक निजी संस्था के साथ समझौता किया गया है। प्रदेश में शुरू किये जा रहे रोजगार पोर्टल के उपयुक्त नाम के लिये लोक सेवा प्रबंधन विभाग के अन्तर्गत राज्य लोक सेवा अभिकरण द्वारा नागरिकों से सुझाव मांगे गए हैं।

प्रदेश में कृषि उत्पादक समूहों को बढ़ावा दिया जाए

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में घोषित पैकेज पर चर्चा की

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में किसानों के विकास के लिए कृषि उत्पादक समूहों को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए। प्रदेश के हर आदिवासी एवं गरीब किसान को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाए। केन्द्र सरकार द्वारा घोषित पैकेज के अंतर्गत विभिन्न विभाग त्वरित गति से प्रस्ताव बनाकर स्वीकृति हेतु भिजवाएं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा कृषि, पशुपालन, सहकारिता, उद्यानिकी, मछुआ कल्याण आदि विभागों को घोषित पैकेज के संबंध में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री के.के. सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव पशुपालन श्री जे.एन. कंसोटिया, अपर मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, प्रमुख सचिव कृषि श्री अजीत केसरी, प्रमुख सचिव सहकारिता श्री उमाकांत उमराव आदि उपस्थित थे।

01 हजार कृषि उत्पादक समूह बनाए जाने का लक्ष्य

बताया गया कि प्रदेश में कृषि उत्पादक समूह बनाए जाने की नवीन केन्द्र पोषित योजना के अंतर्गत वर्ष 2019–20 से 2023–24 तक 01 हजार कृषि उत्पादक समूह बनाए जाने का लक्ष्य है। इसके अंतर्गत अधोसंरचना विकास पर 2 हजार करोड़, शासकीय इक्विटी 15 लाख रूपये प्रति कृषक उत्पादक समूह तथा शासकीय क्रेडिट गारंटी 02 करोड़ रूपये प्रति कृषि उत्पादक समूह होगी। वर्तमान में प्रदेश में 6 हजार 857 किसान समूह कार्यरत हैं, जिनसे 2.25 लाख किसान जुड़े हैं। इनके द्वारा मुख्यतरू बीज, ग्रीडिंग, प्रोसेसिंग, ट्रेडिंग, जैविक खेती, दुग्ध उत्पादन, सब्जी उत्पादन आदि का कार्य किया जाता है।

अंतर्राज्यीय व्यापार में ई–नाम पोर्टल का उपयोग हो

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि अंतर्राज्यीय व्यापार में ई–नाम पोर्टल का उपयोग किया जाए। अभी इसका उपयोग नाममात्र के लिए हो रहा है। बताया गया कि वर्तमान में भारत सरकार की ई–नाम पोर्टल पर अंतर्राज्यीय व्यापार की सुविधा उपलब्ध है। कृषि विपणन बोर्ड के कार्य को भी अधिक प्रभावी बनाए जाने के निर्देश दिए गए।

कस्टम प्रोसेसिंग योजना प्रारंभ की जाए

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कृषि अभियांत्रिकी के अंतर्गत भारत सरकार के सुझाव अनुसार कस्टम प्रोसेसिंग योजना प्रारंभ की जाए। इसके अंतर्गत किसानों को उनके खेत पर ही अनाज की प्राइमरी प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग आदि की सुविधा प्रदान की जाए। इससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिल पाएगा।

भूसे की कटाई की व्यवस्था हो

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नरवाई जलाना किसानों के साथ वातावरण के लिए भी अत्यंत हानिकारक होता है। फसल कटाई के बाद किसानों को भूसे की कटाई के लिए यंत्र उपलब्ध कराए जाएं। इससे न केवल जानवारों के लिए भूसा उपलब्ध होगा अपितु किसानों को भूसे का अच्छा भाव भी मिल सकेगा।

किसानों को न लेना पड़े साहूकारों से कर्ज

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ ही अन्य कई योजनाएं उनके कल्याण के लिए चलाई जा रही है। हर किसान एवं आदिवासी को किसान क्रेडिट कार्ड आवश्यक रूप से उनके ऋण की आवश्यकता के लिए उपलब्ध कराया जाए, जिससे उन्हें साहूकारों से कर्ज न लेना पड़े।

हर्बल खेती को बढ़ावा दें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि केन्द्र सरकार के पैकेज अनुसार 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में आगामी दो वर्षों में औषधीय पौधों की खेती एवं विपणन के लिए क्षेत्रीय मंडियों का नेटवर्क तैयार किया जाना है। इस संबंध में कार्रवाई की जाए। बताया गया कि प्रदेश में 10 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में हर्बल खेती का विस्तार प्रस्तावित है।

छोटे मछुआरों को काम–धंधा एवं रोजगार मिले

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि प्रदेश में मछली पालन को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए, जिससे मछुआरों को अधिक से अधिक कामधंधा एवं रोजगार मिले। इसके लिए मछली उत्पादक समूहों का गठन भी किया जा सकता है। बताया गया कि प्रदेश में गांधी सागर डेम की मछली की अन्य प्रदेशों में बहुत मांग है।

बारदानों की कमी नहीं आने दी जायेगी – मंत्री श्री पटेल

भोपाल। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने बारदानों की कमी को पूरा करने के लिये नाफेड के अधिकारियों से दूरभाष पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही बारदानों की कमी को दूर कर लिया जायेगा। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि शीघ्र बारदानों की आपूर्ति होने लगेगी। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नाफेड) के चेयरमेन डॉ. वीरेन्द्र सिंह और सीएमडी डॉ. संजीव कुमार चड्ढा ने आश्वस्त किया है कि प्रदेश को आवश्यकतानुसार आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।

चालू बिजली लाइन टूटने पर बिजली विभाग को फौरन सूचना दें

भोपाल। विद्युत वितरण कंपनियों ने नागरिकों से अपील की है कि विद्युत लाइनों, उपकरणों एवं खंभों से छेड़खानी करना विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है। जरा–सी असावधानी या छेड़खानी से बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। ऐसी लाइनें जिनमें विद्युत शक्ति प्रवाहित होती है, यदि आंधी–तूफान या अन्य किसी कारण से टूट जाती हैं या जमीन पर गिर जाती हैं तो उन्हें छूकर खतरा मोल न लें।

लाइन टूटने की सूचना शीघ्र ही निकटस्थ बिजली कंपनी के कार्यालय में वहां के प्रभारी अधिकारी अथवा विद्युत कर्मचारी को दें। ऐसी सूचना काल सेंटर 1912 पर भी दे सकते हैं। खेतों और खलिहानों में ऊँची–ऊँची घास की गंजी, कटी फसल की ढेरियाँ तथा झोपड़ी, मकान अथवा तंबू आदि विद्युत लाइनों के नीचे अथवा अत्यंत समीप न बनाएं। विद्युत लाइनों के नीचे से अनाज, भूसे आदि की ऊँची भरी हुई गाड़ियाँ (चालू लाईन) न निकालें, इससे आग लगने का खतरा है।

यदि कोई व्यक्ति चालू लाइन के तारों के संपर्क में आ जाता है तो स्विच से विद्युत प्रवाह तुरंत बंद कर दें। यदि स्विच बंद न कर सकें तो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को सूखी रस्सी, सूखा कपड़ा या सूखी लकड़ी की सहायता से सजीव तारों से अलग करें। ऐसा न करने से सहायता करने वाले को भी शॉक लग सकता है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को सजीव तारों से शीघ्र ही अलग करें क्योंकि एक सेकेण्ड की देरी भी घातक हो सकती है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को सूखी जमीन या सूखे फर्श पर लिटाएँ एवं कृत्रिम सांस देकर उसका प्राथमिक उपचार करें।

सोशल मीडिया की दस्तक से कामयाब हो रहा अभियान चेतना

भोपाल। कोविड महामारी में लॉकडाउन की स्थिति में अति कम वजन के बच्चों की उपयुक्त देखभाल के लिये प्रदेश के आदिवासी बहुल जिले झाबुआ में सोशल मीडिया का सहारा लेकर किया गया नवाचार काफी सफल सिद्ध हो रहा है।

जिले की परियोजना अधिकारी सुषमा भदौरिया ने सोशल मीडिया के माध्यम से नवाचार करते हुए अभियान चेतना–2 को बड़ी कामयाबी दिलाई है। उन्होंने अति कम वजन के बच्चों के माता–पिता को समझाइश देने के लिये व्हाट्सएप ग्रुप और मेसेज ग्रुप बनाया। इन ग्रुप्स में प्रतिदिन बच्चों की देखभाल करने से संबंधित संदेश भेजे जाते हैं।

राजस्व वृद्धि के लिये मंत्री समूह की हुई बैठक

भोपाल। गृह तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा और आदिम जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह ने प्रदेश में कोविड–19 की परिस्थितियों के मद्देनजर राजस्व वृद्धि के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की। मंत्री समूह की बैठक में खनिज विभाग और आबकारी विभाग से प्राप्त राजस्व में वृद्धि के संबंध में चर्चा की गई। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव वित्त श्री अनुराग जैन, प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर श्री मनोज गोविल, प्रमुख सचिव लोक निर्माण श्री नीरज मंडलोई, सचिव खनिज श्री सुखवीर सिंह एवं आबकारी आयुक्त श्री राजीव चन्द्र दुबे मौजूद थे।

हर घर नल के माध्यम से शुद्ध पानी पहुंचायेंगे

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने केन्द्रीय जल मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह की वीसी में कहा

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा ली गई वीसी में कहा कि राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक घर में नल के माध्यम से शुद्ध पानी पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। केन्द्र द्वारा लक्ष्य को वर्ष 2024 के स्थान पर वर्ष 2023 तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, तद्नुसार योजना का पुनर्निधारण कर मिशन मोड में कार्य किया जाएगा।

मंत्रालय में वीडियो कान्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव श्री मलय श्रीवास्तव तथा अन्य संबंधित उपस्थित थे।

केन्द्र सरकार देगी 1280 करोड़ रूपए

वीसी में केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि जल–जीवन मिशन के अंतर्गत अब वर्ष 2023 तक निर्धारित लक्ष्यों को पूरा किया जाना है। इस वर्ष केन्द्र सरकार मिशन के क्रियान्वयन के लिए मध्यप्रदेश को 1280 करोड़ रूपए का बजट देगी। इतनी ही राशि राज्य सरकार मिलाएगी। इसके साथ इस बार मध्यप्रदेश को लगभग 6500 करोड़ रूपए मनरेगा के अंतर्गत प्रदाय किए जाएंगे। मनरेगा में 65 प्रतिशत राशि जल संबंधी कार्यों के लिए खर्च की जानी है अतः इसमें से भी कुछ राशि का उपयोग जल जीवन मिशन के लिए किया जा सकता है।

103 लाख परिवारों को नल के माध्यम से पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश में घर पर नल के माध्यम से जल प्रदाय से शेष लगभग 85 प्रतिशत (103.67 लाख) परिवारों को एफएचटीसी (फंक्शनल हाऊसहोल्ड टैप कनेक्शन) के माध्यम से वर्ष 2023–24 तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की योजना है।

गत 9 माह में अपेक्षित प्रगति नहीं

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश में वर्ष 2012 में जल निगम का गठन किया गया था, जिसके द्वारा समूह जल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जल जीवन मिशन शुरू किए जाने के बाद लगभग 9 माह व्यतीत हो गए हैं परंतु प्रदेश में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है। कार्य को गति देने के लिए प्रदेश में राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन बनाया जाकर उसके अंतर्गत अपेक्स समिति एवं एग्जीक्यूटिव समितियों का गठन कर लिया गया है।

लेन–देन केलिए सिंगल नोडल एकाउंट

मुख्यमंत्री ने बताया कि भारत सरकार के दिशा निर्देश अनुरूप मिशन के लेन–देन के लिए सिंगल नोडल एकाउंट खोले जाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। साथ ही मिशन के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक संस्थाओं के एम्पैनलमेंट की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। पूर्व से स्थापित तथा वर्तमान में प्रचलित योजनाओं के रेट्रोफिटिंग का कार्य तुरंत प्रारंभ किया जाएगा।

321 गुणवत्ता प्रभावित गाँवों में शुद्ध पेयजल इसी वर्ष

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के कुल 321 गुणवत्ता प्रभावित गाँवों में शुद्ध पेयजल इस वर्ष के अंत तक उपलब्ध करवा दिया जाएगा। वर्ष 2020–21 की प्रस्तावित कार्ययोजना में अधिक से अधिक अजा–अजजा बाहुल्य गाँवों में कार्य प्रारंभ कराए जाएंगे। सांसद आदर्श ग्राम तथा आकांक्षी जिलों को भी प्राथमिकता दी जाएगी।

805 गाँवों में एक लाख 31 हजार नल कनेक्शन (एफएचटीसी)

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जल निगम द्वारा 1231 करोड़ की 19 समूह योजनाओं को पूरा कर लिया गया है, जिनके माध्यम से प्रदेश के 805 गाँवों में 1 लाख 31 हजार से अधिक क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान किए गए हैं। जल निगम के अंतर्गत वर्तमान में 39 समूह योजनाओं में 8 हजार 375 करोड़ रूपए के कार्य प्रगति पर हैं।

चालू वर्ष में 5.45 लाख तथा अगले वर्ष में 7.84 लाख कनेक्शन

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश में वर्ष 2020–21 में 3 हजार करोड़ की लागत की योजनाओं से 5 लाख 45 हजार एफएचटीसी कनेक्शन तथा वर्ष 2021–22 में 2 हजार करोड़ की लागत की योजनाओं से 7 लाख 84 हजार एफएचटीसी प्रदान किए जाएंगे।

जहां भू–जल स्त्रोत नहीं है, वहां भी कनेक्शन

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में जिन क्षेत्रों में भू–जल की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है, वहां सतही स्त्रोत आधारित समूह जल प्रदाय योजनाओं की डीपीआर तैयार कर ली गई है। इन कार्यों को जल जीवन मिशन के अंतर्गत कराया जाएगा।

जल प्रयोगशालाओं का एन.ए.बी.एल. प्रमाणीकरण

मुख्यमंत्री ने कहा कि नल–जल योजनाओं के माध्यम से अच्छी गुणवत्ता का पेयजल गाँव में मिल सके इसके लिए जिलों की जल प्रयोगशालाओं का चरणबद्ध तरीके से एन.ए.बी.एल प्रमाणीकरण करवाया जाएगा।

क्या है जल जीवन मिशन

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शत–प्रतिशत परिवारों को अच्छी गुणवत्ता का पेयजल निरंतर एवं पर्याप्त मात्रा में प्रदाय कराने के लिए जल जीवन मिशन प्रारंभ किया गया। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को की। मिशन का उद्देश्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक घर में क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) के माध्यम से 55 लीटर शुद्ध पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध कराया जाना निर्धारित किया गया। अब इस लक्ष्य को पूर्ण करने की समय–सीमा वर्ष 2023 कर दी गई है।

मनरेगा से रोजगार देने में बालाघाट जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर

भोपाल। बालाघाट जिले में एक लाख 23 हजार 64 मजदूरों को रोजगार मिल रहा है। मनरेगा के अंतर्गत इतनी अधिक संख्या में ग्रामीण जाबकार्ड धारकों को रोजगार देने के मामले में बालाघाट जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। इतनी अधिक संख्या में प्रदेश के किसी अन्य जिले में मजदूरों को काम नहीं मिला है। चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में मनरेगा के कार्यों में मजदूरी पर 20 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है।

एक लाख 8 हजार मजदूरों को मास्क का किया गया वितरण

कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए मनरेगा के कार्यों में पूरी सावधानी बरती जा रही है। सभी मजदूरों को मास्क लगाकर या मुंह पर गमछा बांधकर काम करने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही काम के दौरान दो व्यक्तियों के बीच कम से कम 06 फिट की दूरी बनाये रखने की भी सलाह दी गई है।

(पृष्ठ 1 का शेष)

तेन्दूपत्ता संग्राहकों को कुल बोनस ....

इस योजना में हमारे तेंदूपत्ता संग्राहकों को सामान्य मृत्यु पर 10 हजार रूपये, आंशिक अपंगता पर 20 हजार रूपये, पूर्ण अपंगता पर 50 हजार रूपये एवं दुर्घटना में मृत्यु पर 2 लाख रूपये की राशि प्रदान की जाती है। इस योजना अंतर्गत 901 संग्राहकों को 4 करोड़ रूपये से अधिक राशि का भुगतान किया जा चुका है।

एकलव्य शिक्षा योजना में 2200 विद्यार्थी लाभान्वित

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि आदिवासी भाई–बहनों के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें इसके लिए प्रदेश में एकलव्य शिक्षा योजना चलाई जा रही है। इस योजना में 9वीं कक्षा से स्नातक तक के विद्यार्थियों को 12 हजार से लेकर 50 हजार रूपये तक प्रतिवर्ष प्रदान किये जाते हैं। अभी तक लगभग 2200 विद्यार्थियों को 2.32 करोड़ रूपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है।

आप सबको मजदूरी मिल गई कि नहीं

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पूर्व मण्डला जिले के ग्राम अहमदपुर के तेंदूपत्ता संग्राहक श्री शिवकुमार झारिया, पश्चिम बैतूल के भीमपुर के श्री धनु, उत्तर शहडोल के ग्राम सेमारीटोली के श्री दीपनारायण साहू तथा छतरपुर के ग्राम पिपरा के श्री पंचू परमलाल अहिरवार से भी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने सभी से पूछा कि उन्हें तेंदूपत्ता संग्रहण की मजदूरी मिल गई कि नहीं तथा उन्हें कार्य में कोई परेशानी तो नहीं आ रही। सभी ने बताया कि मामाजी तेंदूपत्ता संग्रहण की मजदूरी हमें नियमित रूप से मिल रही है तथा कार्य में कोई भी परेशानी नहीं आ रही है। अब आप मुख्यमंत्री बन गए हैं तो हमें किस बात की चिंता।

आत्मनिर्भर भारत में होगा मध्यप्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की मंत्रियों से चर्चा, विभागों की तैयारियाँ देखीं

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में मध्यप्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। मध्यप्रदेश में कृषि, उद्यानिकी, सहकारिता, मत्स्य पालन, पशुपालन और उद्योग के क्षेत्र में रोजगारमूलक कार्यों के माध्यम से सशक्त अर्थव्यवस्था के लिये अधिकतम प्रयास होंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ वित्त मंत्री भारत सरकार के वक्तव्य के बिन्दुओं पर मध्यप्रदेश में विभिन्न विभागों की तैयारियों के संबंध में प्रस्तुतिकरण के पश्चात चर्चा कर रहे थे। इस दौरान बताया गया कि प्रदेश में कोरोना संकट के फलस्वरूप लॉकडाउन की लगभग दो माह की अवधि में 4600 करोड़ रूपये की राशि किसानों के खाते में जमा कर उन्हें राहत प्रदान की जा चुकी है। इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान सम्माननिधि योजना की राशि शामिल हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि उद्योग क्षेत्र में इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के विकास, बैटरी चलित वाहनों के उपयोग में मध्यप्रदेश लीड करने का प्रयास करेगा। इसी तरह पशुपालन के तहत गौवंश की रक्षा के साथ पशु नस्ल सुधार का कार्य अभियान के रूप में संचालित होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि उद्यानिकी में कार्य की काफी संभावना हैं। प्रदेश में मधुमक्खी पालन जैसे लाभकारी कार्य से लोगों को जोड़ने के प्रयास बढ़ाए जायेंगे। विशेष रूप से मुरैना और भिण्ड जिलों में इस कार्य का विस्तार किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अंतर्विभागीय समन्वय से तालाब निर्माण और मत्स्य पालन के कार्यों को जोड़कर किसान के हित में योजना लागू करने के निर्देश दिये।

किसी दिन, जब आपके सामने कोई समस्या ना आये। आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं।

– स्वामी विवेकानंद

प्रस्तुतिकरण और चर्चा

किसान कल्याण तथा कृषि विकास – प्रदेश में 115 लाख मेट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन हुआ है। इसके साथ ही चना, मसूर और सरसों का उपार्जन भी 2.13 लाख मेट्रिक टन हुआ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 2990 करोड़ रूपये हितग्राहियों को दिये गये हैं। एफ.पी.ओ. (फार्मर प्रोड्यूसर आर्गेनाइजेशन) की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के लिये भी कार्य–योजना बनाई जा रही है। एक हजार नवीन एफ.पी.ओ. का लक्ष्य है। एग्री इन्टरप्रिन्योर और एग्री स्टार्टअप में 500 का लक्ष्य रखते हुये अधोसंरचना निर्माण का कार्य किया जायेगा। कृषि विपणन क्षेत्र में सुधार के अंतर्गत ई–ट्रेडिंग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मण्डी अधिनियम में परिवर्तन और यूनिफाइड लायसेन्स की व्यवस्था इसी सिलसिले में की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में तीसरे क्रम पर है। लॉकडाउन की अवधि में लगभग 85 लाख परिवारों को 1700 करोड़ रूपए का वितरण किया गया है।

सहकारिता – अपेक्स बैंक को नाबार्ड द्वारा 2000 करोड़ रूपए स्वीकृत किये गये हैं। खरीफ 2019 में दिये गये फसल ऋण के लिये अंतिम तिथि 31 मई तक बढ़ाई गई है। इससे 16 लाख किसानों को करीब 47 करोड़ रूपये की ब्याज सहायता भारत सरकार से और समय पर ऋण अदायगी पर प्रोत्साहन के रूप में प्राप्त होने की आशा है। प्रदेश में किसानों को पात्रतानुसार चरणबद्ध कार्ययोजना में के.सी.सी. (किसान क्रेडिट कार्ड) की उपलब्धता रहेगी। कृषि अधोसंरचना फण्ड के संबंध में भारत सरकार से दिशा–निर्देश प्राप्त होने पर कार्ययोजना के लिये कार्रवाई की जायेगी। सूक्ष्म खाद्य उद्यमों के क्षेत्र में अनेक गतिविधियाँ संचालित की जायेंगी। प्रदेश में 50 क्लस्टर का विकास प्रस्तावित है। इन्फ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक, कैपेसिटी बिल्डिंग और हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिये 200 नई इकाइयों की स्थापना और 10 लाख हेक्टेयर में अगले दो वर्ष में औषधीय पौधे लगाने की योजना है। मधुमक्खी पालन के अंतर्गत 23 हजार 600 इकाइयाँ चल रही हैं।

मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास – मत्स्य पालन के क्षेत्र में नई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हाल ही में केन्द्रीय मंत्रिपरिषद से अनुमोदित हुई है। इसमें राज्यों को संस्थागत सहयोग के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जायेगी। मध्यप्रदेश को लगभग 30 करोड़ सालाना अनुदान राशि मिलने का अनुमान है।

पशुपालन – प्रदेश में पशुओं में शत–प्रतिशत टीकाकरण और पशुओं की टैगिंग का कार्य होगा। सभी 290 लाख गौ और भैंस वंशीय पशुओं को टैग लगाने का कार्य चल भी रहा है। अब तक 70 लाख पशुओं को टैग लगाए जा चुके हैं। भारत सरकार द्वारा करीब 50 करोड़ रूपये की राशि प्रदान की गई है।

उद्योग – आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत औद्योगिक विकास के लिये मध्यप्रदेश में 12 हजार 507 हेक्टेयर का भूमि बैंक विकसित किया गया है। निजी क्षेत्र की भागीदारी को आमंत्रित करने की पहल की गई है। औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिये हवाईअड्डों, राजमार्गों और प्रमुख रेलवों स्टेशनों के निकटवर्ती क्षेत्रों में भूमि चिन्हित की जायेगी। प्रदेश की कार्ययोजना में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिये निजी क्षेत्रों की इक्विटी के रूप में भागीदारी आमंत्रित करने की संभावनाओं को देखा जायेगा। प्रदेश में 4 परिधान पार्क विकसित करने का प्रस्ताव हैं जो इंदौर, भोपाल, छिंदवाड़ा और रतलाम में होंगे। केमिकल और फार्मास्यु–टिकल पार्क भी प्रस्तावित हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग और अन्य प्रदेशों के बड़े नगरों जैसे नागपुर, अहमदाबाद आदि से कनेक्टिविटी बेहतर बनाने की दिशा में भी कार्य प्रस्तावित है। भोपाल–इंदौर राजमार्ग पर निवेश आकर्षित करने के लिये बेहतर जल उपलब्धता के लिये भी विभागों से समन्वय किया जा रहा है।

स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र, जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट, कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री कमल पटेल, खाद्य और सहकारिता मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत और आदिम जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिये मध्यप्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों का संचालन बढ़ाने के संबंध में सुझाव दिए। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव उपस्थित थे।

गरीबों, मजदूरों, किसानों के खातों में 16 हजार 489 करोड़ ट्रांसफर किये गये

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने पिछले 45 दिनों में 2 करोड़ 94 लाख गरीबों, श्रमिकों और किसानों के खातों में 16 हजार 489 करोड़ की राशि ट्रांसफर की है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गरीबों के प्रति संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता दिखाते हुए शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लोगों के खातों में सीधे राशि पहुचांई। कोरोना संकट के चलते राज्य के कर राजस्व में आयी कमी एवं वित्तीय संकट के बावजूद मुख्यमंत्री श्री चौहान ने गरीबों, मजदूरों और किसानों की योजनाओं के लिए सरकार का खजाना खोल दिया। इससे प्रदेश के लोगों में वित्तीय तरलता बनी रही। अभी तक 6 हजार 489 करोड़ विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत राशि ट्रांसफर की गयी है ओर 10 हजार करोड़ रुपये गेहूँ उपार्जन के लिए भुगतान किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शासन के विभिन्न विभागों की हितग्राही मूलक योजनाओं की समीक्षा कर यह निर्णय लिया कि जितने भी वित्तीय संसाधन उपलब्ध हैं वे सबसे पहले गरीबों मजदूरों और किसानों की योजनाओं के लिए दिये जायें। लगभग प्रतिदिन किसी न किसी योजना में हितग्राहियों के खातों में राशि अंतरित की गई है। मध्यप्रदेश सरकार ने कोरोना संकट में प्रारंभ से ही इस रणनीति पर काम किया कि सरकारी योजनाओं की ज्यादा से ज्यादा राशि लोगों के खातों में डाली जाये।

सरकार ने 15 लाख किसानों के खातों में फसल बीमा योजना की 2981 करोड़ की राशि ट्रांसफर की। कोरोना संकट के बावजूद किसानों से गेहूँ उपार्जन की उत्कृष्ट व्यवस्था की गई। इस वर्ष उपार्जन में अभी तक 12 लाख 61 हजार किसानों से 87 लाख 43 हजार मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया।

प्रवासी कुशल मजदूरों को काम दिलाने के लिए बनायें रोजगार सेतु

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना संकट के कारण हुए रिवर्स माइग्रेशन से प्रदेश में कुल 10 से 13 लाख मजदूर प्रदेश लौटने का अनुमान है। इनमें से अकुशल श्रमिकों को कार्य दिलाने के लिये प्रदेश में श्रमसिद्धि अभियान चालू किया गया है। कुशल मजदूरों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार दिलवाने के लिये शॉर्ट एवं लॉग टर्म प्लानिंग करें। इसके लिए श्रोजगार सेतुश बनाया जाए। इससे कुशल श्रमिकों एवं काम देने वालों को जोड़ा जाए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में कोविड–19 के पश्चात प्रदेश में कौशल एवं रोजगार के क्षेत्र में प्रस्तावित बदलाव के संबंध में बैठक ले रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा श्रीमती कैरोलिन खोंगवार देशमुख, प्रमुख सचिव श्रीमती दीपाली रस्तोगी, प्रमुख सचिव डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव श्री संजय शुक्ला आदि उपस्थित थे।

तत्काल कार्य दिलाएं

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कुशल प्रवासी मजदूरों को तत्काल कार्य दिलाने के लिए शॉर्ट टर्म प्लान बनाएं। इसके अंतर्गत पंचायतों से डाटा मंगवाये और निर्माण, उद्यम आदि में कुशल श्रमिकों को नियोजित किया जाए।

लॉंग टर्म प्लानिंग, प्लेटफार्म बनाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉंग टर्म प्लानिंग के अंतर्गत कुशल मजदूरों की जानकारी तथा उद्योगों एवं निर्माणकर्ताओं की जानकारी एक प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराई जाए, जिसके माध्यम से उद्योगों एवं निर्माणकर्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुरूप कुशल श्रमिक उपलब्ध कराए जाएं। इसमें एम.एस.एम.ई. की भूमिका महत्वपूर्ण है।

प्रवासी मजदूर कौशल रजिस्ट्रर एवं पोर्टल

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये कि प्रवासी मजदूरों का कौशल रजिस्टर पंचायतवार बनाया जाए, जिसमें उनके कौशल से संबंधित तथा अन्य जानकारी दर्ज की जाए। साथ ही इसके लिए एक पोर्टल बनाया जाकर उस पर जानकारी दर्ज की जाए। यह जानकारी नियोजनकर्ताओं को उपलब्ध करायी जाए। जानकारी के अंतर्गत शैक्षणिक योग्यता, पूर्व नियोजन, पूर्व वेतन, पूर्व नियोजनकर्ता, कौशल, अपेक्षित मासिक वेतन तथा मजदूर जिस सेक्टर में कार्य करने का इच्छुक हो वह उल्लेखित किया जाए।

प्रवासी मजदूर

बताया गया कि कोरोना के चलते प्रदेश में अभी तक 6.5 लाख से अधिक प्रवासी मजदूर मध्यप्रदेश लौटे हैं। इनकी संख्या 13 लाख तक जाने का अनुमान है। इनमें से 5 लाख 45 हजार श्रमिक शासन द्वारा उपलब्ध करवाई गई परिवहन व्यवस्था से लाये गये हैं। जिले जिनमें अधिक प्रवासी मजदूर लौटे हैं उनमें अलीराजपुर में सर्वाधिक 99 हजार 508, बालाघाट में 97 हजार 620, गुना में 67 हजार 261, पन्ना में 28 हजार 406, झाबुआ में 20 हजार 624 तथा बड़वानी में 20 हजार 182 मजदूर लौटे हैं। इन जिलों में लौटने वाले मजदूरों की संख्या प्रदेश की 52 प्रतिशत है।

प्रवासी मजदूरों के कार्य के प्रमुख क्षेत्र

प्रवासी मजदूर मुख्य रूप से भवन एवं अन्य निर्माण कार्य, ईंट भट्टा खनन, फैक्ट्री, टेक्सटाइल, कृषि एवं संबंधित गतिविधियों में कार्य करते हैं। ये मजदूर प्रमुख रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाण, कर्नाटक तथा राजस्थान जाते हैं।

प्रदेश के छोटे वं मध्यम व्यवसायियों की सरकार करेगी मदद : मंत्री श्री राजपूत

मंत्री श्री राजपूत ने कैट पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की

भोपाल। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, सहकारिता एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने प्रदेश के व्यापारी संघ के पदाधिकारियों से कहा कि सरकार हर हाल में उनके साथ है। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि जहाँ लॉकडाउन के कारण आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ा, वहीं व्यापारी वर्ग को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा है। मंत्री श्री राजपूत कैट के पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉफ्रेंसिग के माध्यम से चर्चा कर रहे थे।

मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि छोटे एवं लघु व्यवसायियों को बिजली के बिल में छूट देने के संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा केबिनेट में चर्चा की गई। इस संबंध में कुछ ही दिनों में अच्छे परिणाम सामने आयेंगे। उन्होंने कहा कि स्ट्रीट वेंडर को दस–दस हजार आर्थिक सहायता दिए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार लिस्टिंग की जा रही है। शीघ्र ही योजना बनने वाली है जिसका लाभ उन्हें मिलेगा।

उन्होंने महिलाओं की सहभागिता के सुझाव पर कहा कि छोटे–छोटे व्यवसायों में छोटे–छोटे ऋण के माध्यम से महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी। समूह के माध्यम से महिलाओं को काम ही नहीं बल्कि उनके द्वारा तैयार माल की खपत की व्यवस्था की जायेगी। आत्मनिर्भर भारत योजना के माध्यम से जो पैकेज मिला है उसमें व्यापारियों के सुझाव भी रखे जायेंगे।

मंत्री श्री राजपूत ने लोहिया बाजार में दुकानों के खुलने के समय के प्रस्ताव पर कहा कि गर्मी में लोहे का काम करने वाली दुकानों को सुबह और शाम के समय खोले जाने के प्रस्ताव पर जिला कलेक्टर से चर्चा करेंगे। लघु एवं छोटे व्यापारियों को भोजन सामग्री उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर उन्होंने कहा कि शासन द्वारा पहले से ही आटा, गेहूं, चावल आदि का वितरण किया जा रहा है। बुन्देलखंड में विशेषकर ओरछा में लॉकडाउन के कारण होटल, उद्योग एवं विशेषकर पर्यटन आधारित धंधे प्रभावित हुए हैं। बुन्देलखंड में बड़े उद्योग तो हैं परंतु छोटे–छोटे उद्योग लगें इस संबंध में विचार किया जाएगा।

मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि लॉकडाउन समाप्त होने पर बुन्देलखंड के व्यापारियों के साथ बैठक करेंगे। कोरोना की इस स्थिति में हमें जीना सीखना होगा। दुकानें खोलें परंतु लॉक डाउन के नियमों का पालन करते हुए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान को किसानों की ओर से ग्रीष्मकालीन मूंग भेंट

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को मंत्रालय में कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री कमल पटेल ने हरदा और होशंगाबाद क्षेत्र के किसानों की ओर से प्रतीक स्वरूप मूंग भेंट की। इस अंचल में इस वर्ष ग्रीष्मकालीन मूंग की बहुत अच्छी पैदावार हुई है। किसानों और श्रमिकों को विभिन्न कार्यों से रोजगार भी मिला है। किसानों ने मुख्यमंत्री श्री चौहान के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए कृषि मंत्री श्री पटेल के माध्यम से ग्रीष्मकालीन मूंग भेंट की। कृषि मंत्री श्री पटेल ने बताया कि हरदा जिले में 74 हजार 142 हेक्टेयर में और होशंगाबाद जिले में 1 लाख 2000 हेक्टेयर में इस तरह कुल 1 लाख 76 हजार 142 हेक्टेयर में मूंग का उत्पादन हुआ है। इस अंचल में ग्रीष्मकालीन मूंग की प्रति हेक्टेयर औसत पैदावार 10 से 12 क्विंटल हुई है जो एक उपलब्धि है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र, जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट, खाद्य और सहकारिता मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत और आदिम जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह उपस्थित थीं।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई–8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा
डाक पंजीयन क्रमांक – म.प्र./भोपाल/357/2018-20 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।